रजि. पत्र COOP/2019/JAIPUR/104923

राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन, जयपुर

कार्यालय : बी-29बी, 10-बी, स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, राजस्थान
Email : rajasthancoachingassociation@gmail.com
सम्पर्कः 9828132627, 7665600999, 8890778888, 9414039063

राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट एसोसिएशन के आवाहन पर आज गोपालपुरा बाईपास रोड के करीब 200 से अधिक कोचिंग संस्थानों ने सांकेतिक एक दिन की हड़ताल आयोजित की गयी। सभी कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी, हॉस्टल्स की समस्त गतिविधिया बंद रहीं।

J.D.A द्वारा कोचिंग संस्थानों को 7 दिन में कोचिंग बंद करने के नोटिस दिया गया है। J.D.A का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कार्यवाही हो रही है जबकि सच्चाई यह है कि 10-B- स्कीम के एक वकील ने आवारा पशुओ की उच्चतम न्यायालय में लम्बित याचिका मे गलत तथ्य पेश करके एक वकील द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय को भ्रमित किया जिसका बिल्कुल भी विरोध जे०डी०ए० के वकील ने पिटीशनर के वकील नहीं किया।

J.D.A द्वारा दिए नोटिस के विरोध में समस्त कोचिंग संस्थानो के निदेशक सम्मिलित हुए। एकत्रित हुए और मीडिया को अपना पक्ष निम्न रूप में रखा -

(1) गोपालपुरा बाईपास रोड क्षेत्र 160 फीट चौड़ा है और 250 करोड़ का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है।

(2) गोपालपुरा बाईपास रोड J.D.A द्वारा दो बार, 5 July 2021 एवं 26 July 2022 को कोचिंग चलाने के लिए अधिसूचित किया गया था।

(3) गोपालपुरा बाईपास विशेष परियोजना डवलपमेण्ट प्लान 2022 के अन्तर्गत इस रोड को कोचिंग संस्थानों के अनुरूप विकसित करना है।

आज गोपालपुरा बाईपास रोड के व्यापार मण्डल एवम् व्यापार संघ एवं बिल्डिंग मालिक एसोसिएशन ने भी पूर्ण समर्थन दिया।

सभी कोचिंग संस्थानों की मांग है कि सरकार, एडवोकेट जनरल से कोचिंग संस्थानों एवं J.D.A का पक्ष रखवाए और उच्चतम न्यायालय के आगामी सुनवाई से पहले किसी भी प्रकार की सीलिंग कार्यवाही को रोका जाये। कोचिंग संस्थान उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष को रखेंगे, तब तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी जावे।

यह सर्व विदित हैं कि पवन 10-B स्कीम v/s पवन गोयल एवं अदर्स में 10-B स्कीम के लोगो को माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में ही कोई रिलीफ नहीं दिया था। अब वही लोग व्यापारियों की स्थान पर कोचिंग संस्थानों को ब्लैकमेल कर रहे हैं जबकि कोचिंग संस्थान सभी नियमों को पूरा करते हैं।उसके बाबजूद भी उनको नोटिस दिए गए हैं।